

फार्म नं० 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी), आबूरोड
प्रार्थी अप्रार्थी

ललित कुमार जेठवानी पुत्र दीपक
कुमार निवासी आबूरोड

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार आबूरोड

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39 वर्ष 2025

तारीख हुक्म या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज

नम्बर व
तारीख

28/8/25

यह राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विरुद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम मौजा सांतपुर के खसरा नंबर 920/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक खातेदार दर्ज रेकर्ड है। जिसमें वर्तमान राजस्व नक्शे तथा मोमियो शीट में भिन्नता है। जिस संबंध में तहसीलदार आबूरोड से जरिये क्रमांक 510 दिनांक 01.07.2025 से जांच कराई गई। तहसीलदार आबूरोड द्वारा जरिये 347 दिनांक 26.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सांतपुर के खसरा नंबर 920/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक खातेदार ललित कुमार जठवानी के नाम दर्ज रेकर्ड है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मोमियो शीट (जो कि जिला कार्यालय से प्रमाणित शुदा शीट है) तथा वर्तमान नक्शे में भिन्नता सेग्रीगेशन के दौरान हुई अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु जिला कार्यालय से प्रमाणित मोमियो शीट के अनुसार किया जाना उचित होने का कथन किया है। उक्त शुद्धि करने के दौरान अन्य कोई खातेदार प्रभावित नहीं होना बताया गया है।

अतः बाद जांच एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर श्रीमान प्रभारी अधिकारी (डीआईएलआरएमपी) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 3685/06.10.2021 की अनुपालना में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांतपुर के खसरा नंबर 920/1 रकबा 0.0632 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन वाणिज्यिक भूमि के वर्तमान नक्शे में जिला कार्यालय से प्रमाणित मोमियो शीट (संलग्न है) के अनुसार तरमीम शुद्धिकरण के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आबूरोड उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्ती की कार्यवाही सुनिश्चित करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

665
28/8/25

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

प्रतिलिपि:- तहसीलदार आबूरोड को उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)